न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 482/ 2021

तारीख रजू 24.12.2021

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021/624

उनवान

किरण बेवा रमन बगै0 जाति जाट निवासी एकोरासी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—वादीगण 06

बनाम

गम्भीर पुत्र झौरी बगै0 जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण –06

दिनांक	फर्द अहकाम
24.12.2021	आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.1..2022 को पेश हो। (अनूप सिंह) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
24/1/22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाप अपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26-4-22 को पेश हो।
26/4/2022	पत्रावली पेश हुई। बकुलाप अपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 ता. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील व ता. 6 प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबाना दिनांक 8-8-22 को पेश हो।
8/8/22	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्व के अनुसार दिनांक 29-08-22 को पेश हो।
29/8/22	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने अवगत कराया कि वादीगण प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं वादीगण प्रकरण वापिस लेना चाहते हैं। अतः मु0 नं0 482/21 दावा किरण बनाम गम्भीर Not press डिक्री से खारिज किया जाता है। पत्रावली निकासी हो कर दफ्तर से जाये।

उपखण्ड अधिकारी
हि0 (करौली)